राजस्थान सरकार

गृह (ग्रुप–9) विभाग

क्रमांकः– प.2(1)गृह–9/2012 जयपुर, दिनांक 15.10.2021

संशोधित परामर्शदात्री

राज्य सरकार द्वारा दिनांक 30/09/2021 को परामर्शदात्री द्वारा विस्फोटक अधिनियम, 1884 सहपठित विस्फोटक नियम, 2008 में आतिशबाजी के अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए प्राधिकृत अनुज्ञापत्र अधिकारी (Licensing Authority) को यह परामर्श दिया था की राज्य में आतिशबाजी के अस्थायी अनुज्ञापत्र जारी न करे एवं सम्पूर्ण राजस्थान में दिनांक 01/10/2021 से 31/01/2022 तक राजस्थान में सभी प्रकार की आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर रोक लगायी गयी थी।

वर्तमान में कोविड–19 की स्थिति, माननीय उच्चतम न्यायलय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए उक्त परामर्शदात्री को आंशिक रूप से संशोधित करते हुए निम्न परामर्श दिया जाता है। **एनसीआर क्षेत्र** में आतिशबाजी को बेचने व चलाने पर प्रतिबन्ध रहेगा । **एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए** सम्पूर्ण राजस्थान में **केवल ग्रीन आतिशबाजी** के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरुपर्ब एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8 से 10 बजे, छठ पर्व पर प्रातः 6 से 8 एवं क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर 11:55 PM से 12:30 AM पर चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी (NEERI) द्वारा जारी किये गए **QR कोड** को स्कैन करके की जा सकती है। जिस शहर मे एयर क्वालिटी इंडेक्स "poor" या उससे ख़राब है, वहा पर उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी। एयर क्वालिटी इंडेक्स आम जन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट** से ज्ञात की जा सकती है।

आज्ञा से,

(अभय कुमार)
प्रमुख शासन सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैः–

1. महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
2. महानिदेशक, पुलिस (अपराध), राजस्थान, जयपुर।
3. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री।
4. संभागीय आयुक्त, समस्त।
5. महानिरीक्षक रेंज, समस्त।
6. पुलिस आयुक्त, जयपुर/जोधपुर।
7. जिला मजिस्ट्रेट, समस्त।
8. जिला पुलिस अधीक्षक, समस्त।
9. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।

(देवेन्द्र कुमार)

संयुक्त शासन सचिव